UNNAO POLICE

प्रेस नोट, दिनांक 09.10.2021
फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव।

प्राचीन मंदिर से शिव लिंग चुराने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के कुशल मार्गदर्शन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व क्षेत्राधिकारी महोदया सफीपुर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना फतेहपुर चौरासी पुलिस द्वारा प्राचीन मंदिर से शिव लिंग चुराने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण दिनाँक 04.10.2021 को थाना फतेहपुर चौरासी के ग्राम जुल्फिकार अमौरा में प्राचीन गौरी शंकर मन्दिर में शिव लिंग चोरी हुआ था , जिसके संबन्ध में थाना फतेहपुर चौरासी पर मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 365/21 धारा 295/379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 09.10.2021 को प्रभारी निरीक्ष राय सिंह थाना फतेहपुर चौरासी व उ0नि0 विमलकान्त गोयल मय हमराह फोर्स द्वारा उपरोक्त घटना का खुलासा करते हुए शिव लिंग चुराने वाले अभियुक्त मनोज सिंह पुत्र रामबाबू उर्फ शिवराज सिंह निवासी पाण्डा खेड़ा म0 फिरोजपुर खुर्द ऊगू थाना फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव उम्र करीब 26 वर्ष को मय चोरी किये गये शिव लिंग व शिव लिंग तोड़ने के लिये प्रयोग किये गए पत्थर को बरामद कर गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त द्वारा पूर्व में भी मंदिर में त्रिशूल के साथ छेड़खानी की गई थी, जिसको मंदिर के पुजारी द्वारा पुनः स्थापित किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त-

मनोज सिंह पुत्र रामबाबू उर्फ शिवराज सिंह निवासी पाण्डा खेड़ा म0 फिरोजपुर खुर्द ऊगू थाना फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव उम्र करीब 26 वर्ष

बरामदगी का विवरणः-

1.टूटा हुआ शिवलिंग

2.शिवलिंग को तोड़ने वाला पत्थर

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. SHO श्री राय सिंह
2. उ0नि0 श्री विमल कान्त गोयल
3. हे0का0 रण विजय सिंह
4. हे0का0 निर्मल सिंह
5. का0 शिवा चौधरी
6. का0 रामपाल
7. का0 शनिकुमार

UNNAO POLICE

प्रेस नोट, दिनांक 09.10.2021
थाना कोतवाली सदर, जनपद उन्नाव ।

शातिर चैन स्नेचर गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के कुशल मार्गदर्शन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय नगर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली सदर पुलिस एवं स्वाट/सर्विलांस टीम द्वारा शातिर चैन लुटेरे को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण दिनांक 03.10.2021 को मोतीनगर निवासिनी श्रीमती अन्नपूर्णा सिंह के साथ हुई चैन स्नैचिंग के सम्बन्ध में हाजा पर पर दिनांक 08.10.2021 को मु0अ0सं0- 763/2021 धारा 392 भादवि पंजीकृत हुआ था । लूट/चैन स्नेचिंग के दौरान अभियुक्त व महिला के मध्य हाथापाई के दौरान अभियुक्त का मोबाइल गिर गया था सर्विलांस सेल की मदद से ट्रेस कराया गया। जिसके आधार पर आज दिनांक 09.10.2021 को कोतवाली पुलिस एवं स्वाट/सर्विलांस टीम द्वारा अभियुक्त सहाब (साहब) पुत्र दानिस नि0 105/439 चमनगंज थाना चमनगंज कानपुर नगर उम्र करीब 32 वर्ष को मय मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 2200/-रू0 के कंजी के पास से गिरफ्तार किया गया, अभियुक्त द्वारा बताया गया कि लूटी गई चैन को उसने बेच दिया था। बरामदी के आधार पर धारा 411 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी ।

अभियुक्त से गहनता से पूँछताछ में बताया कि साहब मेरे द्वारा कानपुर में कई घटनाएं की गयी है तथा मैं वहां दंगे में भी जेल गया था, जिस कारण से अपना घर छोड़कर काफी दिनों से फरार था । उन्नाव में किराये पर कमरा लेकर रहता हूँ । कानपुर शहर व उन्नाव में चैन स्नैचिंग कर अपना जीवन यापन करता हूं । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त शातिर व आपराधिक किस्म का व्यक्ति है जिसका इतिहास भी है नाम पता बदल कर अपराध कारित करता है । अन्य जगहों से भी अपराध के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का बाद मेडिकल परीक्षण समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त -

1. अभियुक्त सहाब (साहब) पुत्र दानिस नि0 105/439 चमनगंज थाना चमनगंज कानपुर नगर उम्र करीब 32 वर्ष सम्बन्धित मु0अ0सं0- 763/2021 धारा 392/411 भादवि

बरामदगीः-

1. 2200/- रू0
2. मोबाइल फोन, आधार कार्ड, दो सिम

आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0 763/2021 धारा 392/411 भादवि थाना कोतवाली सदर उन्नाव
मु0अ0सं0 087/2015 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना चमनंगज कानपुर नगर
मु0अ0सं0 085/2015 धारा 3/4 सार्वजनिक जुआ अधिनियुम थाना चमनगंज कानपुर नगर
मु0अ0सं0 166/2011 धारा 356 भादवि थाना किदवई नगर कानपुर नगर
मु0अ0सं0 167/2011 धारा 380/457 भादवि थाना किदवई नगर कानपुर नगर
मु0अ0सं0 234/2011 धारा 307 भादवि थाना रायपुरवा कानपुर नगर
मु0अ0सं0 236/2011 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना रायपुरवा कानपुर नगर
मु0अ0सं0 237/2011 धारा 356 भादवि थाना रायपुरवा कानपुर नगर
मु0अ0सं0 261/2011 धारा 3/4 उ0प्र0 गुण्डागर्दी अधि0 थाना रायपुरवा कानपुर नगर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1- उ0नि0 विनय कुमार यादव चौकी प्रभारी सदर थाना कोतवाली सदर उन्नाव

2- का0 अक्षय प्रताप सिंह

सर्विलांस टीम

1- हे0का0 अब्दुल जब्बार

2- का0 राधेश्याम

स्वाट टीम

1. उ0नि0 गौरव कुमार प्रभारी स्वाट टीम/थानाध्यक्ष दही
2. हे0का खैरुल बशर
3. हे0का0 रोहित शर्मा
4. हे0का0 शमीम

प्रेस नोट, दिनांक 09.10.2021
थाना मांखी, जनपद उन्नाव।

महिला की हत्या करने वाला सगा जीजा गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के कुशल मार्गदर्शन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व क्षेत्राधिकारी महोदया सफीपुर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मांखी पुलिस द्वारा कल दिनांक 08.10.2021 को ग्राम टेनई के पास हुई महिला की हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्या करने वाले सगे जीजा को मय आलाकत्ल एक अदद चाकू, मृतका का मोबाइल फोन,3800 रु0 नकद एक अदद मोटरसाइकिल बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण दिनाक 08.10.21 को वादी मुकदमा श्री सन्तराम पुत्र भगवानदीन नि0 ग्राम आदमपुर थाना माल जनपद लखनऊ द्वारा थाना हाजा पर मु0अ0सं0-330/21 धारा 302 भादवि बनाम बाइस्तवा गौरीशंकर पंजीकृत कराया था प्रथम सूचना मे वादी ने बताया कि कि मेरी पत्नी माया जो दिनाक 06.10.2021 को घर से करधनी(जेवर) बनवाने के लि करीब 13 हजार रुपये लेकर अपने मायके गयी थी, जहां से दिनाक 07.10.2021 को अपने जीजा गौरीशंकर के साथ करधनी(जेवर) लेने गयी थी । रात मे पत्नी के मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन संपर्क नही हुआ तथा सुबह जानकारी मिली की मेरी पत्नी माया देवी की हत्या हो गयी है। अभियोग की विवेचना मे साक्ष्य संकलन से पाया की दिनांक

07/10/2021 को अभियुक्त गौरीशंकर उपरोक्त ने माया देवी की नहर के किनारे निर्जन स्थान पर उसकी रुपयों के लिए हत्या कर दी । बाद गिरफ्तारी अभियुक्त ने पूछताछ करने पर अपने किये गये अपराध को स्वीकार करते हुए बताया कि मैने एक मोटर साइकिल बजाज सीटी 110 सीसी उन्नाव स्थित गंगोत्री एजेन्सी से फाइनेन्स पर खरीदी थी । जिसकी किश्तों को मेरे द्वारा समय पर भुगतान नही किया जा सका था । मैंने अपना ऑपरेशन कराया था, जिसकी वजह से मैं कर्जदार हो गया था। मुझे फाइनेंसर द्वारा गाड़ी खींच ले जाने की आशंका थी। चूंकि मेरे नजदीकी संबध मेरी साली माया देवी से करीब 10 वर्षों से था। साली के द्वारा लाये जा रहे पैसों की जानकारी मुझे पहले से ही मिल गयी थी । अतः मैनें गाड़ी का फाइनेन्स अदा करने की नियत से अपनी साली को रसुलाबाद से मोटर साइकिल पर लाकर शारदा नहर के किनारे टिनई व माखी गांव के मध्य नहर के किनारे निर्जन स्थान पर झाड़ियों में ले जाकर पैसे छिनने का प्रयास किया, जिसका मेरी साली ने विरोध किया, तो वही मौके पर अपनी साली माया देवी की गर्दन साड़ी के आँचल से दबाकर/चाकू से रेत कर हत्या कर दी तथा माया देवी के पर्स में रखा 11050/- रुपया व उसका मोबाइल लेकर भाग गया तथा उसके साथ करीब 03 बर्ष के नाबालिग बच्चे को जिन्दा छोड़ दिया। उक्त छीने गये पैसों से कल दिनांक 08.10.2021 को मेरे द्वारा मोटर साइकिल की किश्त 6800/- रुपया जमा किया गया। अभियुक्त गौरीशंकर की निशांदेही पर मृतका माया के हत्या मे प्रयुक्त एक अदद आलकत्ल चाकू,मृतका का मोबाइल फोन व 3800 रुपया नगद व एक अदद मोटरसाइकिल बजाज सीटी 110 सीसी बरामद कर घटना का सफल अनावरण किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है ।

अभि0 का विवरणः-

1. गौरीशंकर पुत्र स्व नन्हा उम्र करीब 32 बर्ष नि0 ग्राम करीमाबाद थाना माखी जनपद उन्नाव

बरामदगी विवरणः- हत्या मे प्रयुक्त एक अदद चाकू, मृतका माया का मोबाइल फोन व 3800 रुपया नगद व एक अदद मोटरसाइकिल बजाज सीटी 110 सीसी ।

गिरफ्तार कर्ताः–

प्रभारी निरीक्षक श्री राजकुमार
उ0नि0 श्री स्वदेश कुमार
हे0का नफीसुद्दीन
का0 बलराम गोस्वामी
का0 नीरज सिंह